41

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. /2017 निगरानी 1/निगरानी/शिवपुरी/भू.रा./2017/3974

श्री ओ.पी.शर्मा-एड.
द्वारा आज दि. 23/10/17 को
प्रस्तुत
23-10-17
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पं.दि. 7-11-17

O.P. Sharma Adv
23-10-17

1– सुरेश पुत्र परमाल धाकड़

2– नारायण पुत्र रतीराम धाकड़

निवासीगण –ग्राम कालामढ़, तहसील बैराड़, जिला शिवपुरी (म.प्र.) ---आवेदकगण

बनाम

अध्यक्ष रजक समाज समिति बैराड़--अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 (1) म.प्र. भू राजस्व संहिता–1959 (नये संशोधन अधिनियम–2011) विरूद्ध आदेश अपर आयुक्त महोदय, ग्वालियर संभाग,ग्वालियर के प्रकरण कमांक 448/2015–16/अपील में पारित आदेश दिनांक 29.8.2017 से परिवेदित होकर।

माननीय,

आवेदकगण की ओर से निगरानी आवेदन–पत्र निम्न लिखित प्रस्तुत है:–

प्रकरण के तथ्य:–

संक्षेप में इस प्रकार है कि, विवादित भूमि ग्राम पंचायत कालामढ़, तहसील बैराड़, जिला शिवपुरी में स्थित भूमि सर्वे कमांक 578/1 एवं 571/1 कुल किता–2 कुल रकवा 5.04 हैक्टर में से आवेदक कमांक–1 सुरेश पुत्र परमाल धाकड़ को आवादी क्षेत्र होने से ग्राम सभा कालामढ़ के ठहराव प्रस्ताव कमांक–12 दिनांक 26–1–2010 से भवन निर्माण की अनुमति प्रदान करते हुये 90×70 क्षेत्रफल पर झोपड़ी बनाकर चारों ओर बाउड्रीबाल एंव लगभग 50 वर्गफीट पर टीमसेड निर्मित कर निवासरत है। इसी प्रकार आवेदक कमांक–2 नारायण पुत्र रतीराम धाकड़ को

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आवृत्ति आदेश पृष्ठ

III / निगरानी / अनूपपुर / भू0राज0 / 2017 / 3974

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3 –11–2017	आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। अधीनस्थ न्यायालय के प्रश्नाधीन आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि पटवारी रिपोर्ट में प्रश्नाधीन भूमि चरनोई माना है जिसमें से 9000 वर्गफीट पर आवेदक का अतिकमण पाया है। आवेदक के 9000 वर्गफीट के अवासी भू–खण्ड आवंटित किये जाने के संबंध में किसी प्रकार के दस्तावेज पेश नहीं करने के कारण आवेदक के विरूद्ध बेदखली के आदेश दिये गये हैं। उक्त आदेश को अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 29–8–2017 से विस्तार से विवेचना कर उचित पाया है। अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता प्रकट नहीं होती है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी आधारहीन होने से ग्राह्यता के स्तर ही निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0एस0 अली) सदस्य	